क्रमांक 16/7-3 जी० एस०-II-79

प्रेषक,

मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

सेवा में

1. हरियाणा के सभी विभागाध्यक्ष आयुक्त अम्बाला तथा हिसार मण्डल सभी उपायुक्त व उपमण्डल अधिकारी (सिविल) ।

2. रजिस्ट्रार, पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालय, चण्डीगढ़ ।

दिनांक, चण्डीगढ़ 30 अप्रैल, 1979

विषय :—सेवा अवधि के दौरान मृत कर्मचारियों के परिवारों को अनुग्रहपूर्वक अनुदान की अदायगी के लिए प्रस्ताव भेजने बारे ।

महोदय,

मुझे उपरोक्त विषय पर आपका ध्यान हरियाणा सरकार के पत्र क्रमांक 9054-4 जी० एस०-II-70/32230, दिनांक 22-12-70 की ओर दिलाने तथा यह कहने का निदेश हुआ है कि इन हिदायतों के साथ भेजे गये निर्धारित आवेदन-पत्र/प्रोफार्मा के फार्म-डी में यह व्यवस्था है कि मृतक की गोपनीय अभिलेख तथा सेवा पंजी (सेवा पंजी अराजपत्रित सरकारी कर्मचारी की स्थिति में) इस विभाग को भेजी जाए । मृतक कर्मचारी की सेवा पंजी/गोपनीय अभिलेख की अनुपलब्धि के कारण अनेक विभागों द्वारा पैन्शन सम्बन्धी मामलों का निपटारा करने में अनावश्यक विलम्ब हो जाता है । अतः सरकार द्वारा इस विलम्ब का निवारण करने के प्रश्न पर विचार किया गया है और यह निर्णय लिया गया है कि भविष्य में मृतक की सेवा पंजी/गोपनीय अभिलेख आवेदन-पत्र के साथ भेजने की अपेक्षा वांछित सूचना प्रमाण-पत्र के रूप में निम्न प्रकार भेज दी जाए :—

प्रमाणित किया जाता है (1) "मृतक नियमित कर्मचारी था तथा तदर्थाधार पर नहीं लगा हुआ था और (2) उसकी ईमानदारी पर कभी सन्देह प्रकट नहीं किया गया ।"

2. कृपया इन अनुदेशों का पालन दृढ़ता से किया जाए ।

भवदीय,
हस्ता/-
उप सचिव न्यायाचार
कृते: मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

एक-एक प्रति हरियाणा सरकार के सभी वित्तायुक्तों, आयुक्त एवं सचिवों तथा सचिवों, सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती है ।